न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **03/24 (अपील)**

GCMS No. : 2024/156

अनवान्

1. श्री मदन पिता देवकिशन ढोली निवासी देवाली तह. घासा।

.............अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री कैलाश मुतबन्ना पन्नालाल ढोली निवासी देवाली तह. घासा।
2. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री पुष्पाबाई पिता भंवरलाल पत्नी देवीलाल ढोली निवासी गन्ठेडी तह. भदेसर जिला चित्तौडगढ।
3. श्री सुरेशचन्द्र पिता भंवरलाल ढोली निवासी देवाली तह. घासा।
4. श्रीमती पुष्पाबाई पत्नी भंवरलाल ढोली निवासी देवाली तह. घासा।
5. श्री लक्ष्मीलाल पिता देवकिशन ढोली निवासी देवाली तह. घासा।
6. लीलादेवी पुत्री देवकिशन ढोली निवासी देवाली तह. घासा।
7. ग्राम पंचायत सांगवा जरिये सरपंच तह. घासा।
8. पटवारी, पटवार हल्का सांगवा तह. घासा।

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट्।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. सांगवा, बाबत ना. सं. 601 दि. 20.05.2008

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 05.09.2024

1. अपीलाण्ट् द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत सांगवा बाबत् नामान्तरण संख्या 601 दिनांक 20.05.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 601 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व ग्राम देवाली, पटवार हल्का सांगवा, तहसील घासा (पूर्व तहसील मावली), जिला उदयपुर (राज०) में स्थित होकर मुझ अपीलान्ट की पैत्रक कृषि भूमि है जो पूर्व में मुझ अपीलान्ट के पिता देवकिशन पिता ऊंकार ढोली के नाम पर 1/3 हिस्सानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित थी जो विरासत के विवादित नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 20–05–2008 से भंवरलाल, मदन, लक्ष्मीलाल, लीलादेवी पिता देवकिशन, भंवरीबाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.18 16:49:57 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी स्व० देवकिशन के साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश पिता देवकिशन ढोली के नाम पर रेकर्ड में दर्ज हुई जो मुझ अपीलान्ट के मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी हैं।

2. यह कि मुझ अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

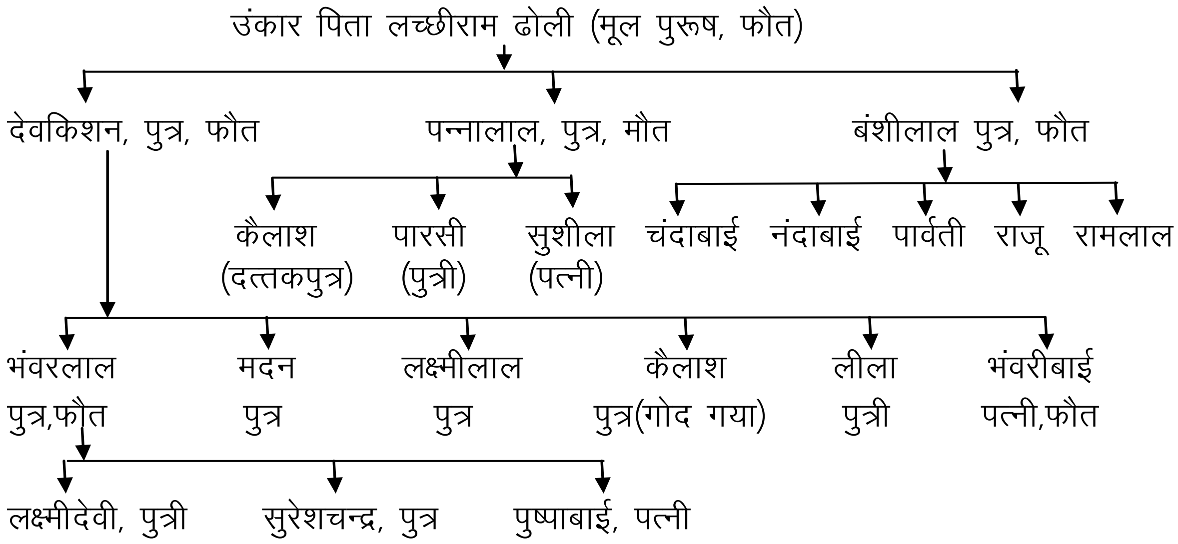

3. यह कि सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष ऊंकार जी थे जिनके तीन पुत्र देवकिशन, पन्नालाल, बंशीलाल हुए। पन्नालाल के पुत्र संतान नही होने से उन्होने अपने जीवनकाल में उनकी पत्नी की सहमति से अपने बड़े भाई देवकिशनजी के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश को गोद रखा जिसके बाद से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश पन्नालाल पिता ऊंकार ढोली का दत्तक पुत्र की हैसियत से जाना पहचाना जाता रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश को गोद लेने के पश्चात् दिनांक 22.12.2008 को उसकी दत्तक माता सुशीला ने जाति समाज एवं गांव के मौतबीरों तथा रिश्तेदारों की मौजूदगी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश उनका दत्तक होने की पुष्ठि करते हुए कैलाश की प्राकृतिक माता श्रीमती भंवरीबाई के पक्ष में गोदनामा (दत्तक ग्रहण विलेख) निष्पादित कर उप पंजियक मावली में पंजीयन करवा दिया। इस तरह पन्नालाल व सुशीला का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश दत्तक पुत्र है और दत्तक पुत्र की हैसियत से उसके दत्तक माता पिता की जायदाद का उपयोग उपभोग करता आया है और इसका इसके प्राकृतिक पिता की जायदाद में कोई हक अधिकार गोद जाने के बाद से नही रहा।

4. यहकि उक्त सजरे के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पन्नालाल पिता ऊंकार ढोली के कल[illegible] चले जाने से देवकिशन पिता ऊंकार ढोली की जायदाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कैलाश का कोई हक अधिकार नही रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.18 16:49:57 IST
Reason: SelfAttested

है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने देवकिशन की मृत्यु उपरान्त उनके विधिक वारिसान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम सम्मिलित करते हुए अन्य वारिसानों के साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर नामान्तरकरण खोल दिया है जो कि कानुनन गलत हैं।

5. यहकि विवादित नामान्तरकरण में वर्णित पैतृक कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 7, 8 से आपस में मिलीभगत कर देवकिशन के विधिक वारिसानों के साथ ही अपने नाम पर अंकित करा दी। जबकि हमारे पिता की उक्त वर्णित कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक हिस्सा ही नही रहा था और न ही है। उक्त नामान्तरकरण विधि विरूद्ध स्वीकृत किया हुआ है जिससे दुःखी एवं पीड़ित होकर उसके विरूद्ध मैं अपीलान्ट यह अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

(1) कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विरासत की जांच किये हुऐ यह नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो पूर्णतया एबइनिशियो वोईड है एवं अवैद्य होकर खारिज होने योग्य है।

(2) कि अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण पास करने के पूर्व देवकिशन पुत्र ऊंकार ढोली के सही वारिसों को सुचना नही दी है न कोई सजरा ही तस्दीक किया है। ऐसी अवस्था में यह नामान्तरकरण खारिज होने योग्य है।

(3) कि देवकिशन पुत्र ऊंकार ढोली का विधिक वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न होकर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 ही है तथा देवकिशन पुत्र ऊंकार ढोली की मृत्यु के पश्चात् विरासत से इन्ही वारिसानों के नाम पर हिस्सेनुसार नामान्तरकरण खुलना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व अधिकारीयो से मिलीभगत करते हुए गलत तरीके से अपने आपको देवकिशन पुत्र ऊंकार ढोली का लड़का होने का कथन करते हुए वारिस होना बताकर विवादित नामान्तरकरण अपने नाम पर स्वीकृत करा दिया है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उसकी बाल्यावस्था में पन्नालाल पुत्र ऊंकार ढोली के गोद चला गया था और इसकी पुष्ठि में पन्नालाल की पत्नी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में गोदनामा भी पंजीकृत कराया हैं। इस प्रकार मैं अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 ही देवकिशन पुत्र ऊंकार ढोली के उत्तराधिकारीगण है और कानूनन देवकिशन पुत्र ऊंकार ढोली के हिस्से की जमीन में हमारा ही हक एवं अधिकार हैं इसलिये देवकिशन पुत्र ऊंकार ढोली के हिस्से में दर्ज हुआ रेस्पोडेन्ट संख्[illegible] आवश्यक हैं।

(4) कि वर्तमान में राज्य [illegible] बराबर रेवेन्यु अधिकारियों को सूचित करती रही है और इस बात का बराबर ध्यान रखने के लिये हिदायत दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.18 16:49:57 IST
Reason: SelfAttested

गई कि खातेदार के मरने के बाद उसके सही वारिसों की जॉंच कर उनके नाम पर नामान्तरकरण दर्ज कर पास करना चाहिए। इस मामले में अधिनस्थ न्यायालय ने जानबुझकर नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम गलत दर्ज करने की भारी भुल की है जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार गोद चले जाने के पश्चात् देवकिशन पुत्र ऊंकार ढोली की जायदाद में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कोई हक हिस्सा रहा हैं।

6. यहकि मुझ अपीलान्ट को इस नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 08–02–2024 को जब नकले प्राप्त की तब हुई। इसके पहले मुझ अपीलान्ट को विवादित नामान्तरकरण की कोई जानकारी नही थी, चूँकि मैं अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का रहने वाला होकर अनपढ हूँ और मुझे इसके बारे में कानूनी जानकारी नही है किन्तु हमारे पिता से प्राप्त हुई जायदाद पर कब्जा हमारा ही निर्बाध रूप से चला आ रहा है। संबंधित नकले प्राप्त कर अपील के खर्चे की व्यवस्था कर अपीलान्ट द्वारा अपने कानूनी सलाहकार नियुक्त कर अपील तैयार करा आज प्रस्तुत की जा रही हैं जो जानकारी से अन्दर मियाद हैं। फिर भी न्याय की दृष्टि से म्याद कन्डोन के लिये धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 601 दिनांक 20–05–2008 एवं इससे हुए राजस्व रेकर्ड में समस्त प्रकार के परिवर्तनो को खारिज कर निरस्त फरमाया जावें तथा विवादित नामान्तरकरण में देवकिशन पिता ऊंकार ढोली के नाम दर्ज कृषि भूमि में मुझ अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 का नाम दर्ज किये जाने हेतु आदेश बक्षाया जावें।

8. **प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि** यहकि इस मामले में दिनांक 20.05.2008 को यह इन्तकाल पास हुआ है लेकिन मुझ अपीलान्ट को इसकी कोई जानकारी नही थी, न ही इसकी कोई सूचना दी गई, न ही वारिसों की सही जांच की गई, न पंचायत से कोई सजरा ही लिया गया है। इस तरह यह नामान्तरकरण वैसे भी अप्रभावी है फिर भी जब मैने दिनांक 20.05.2008 को नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई कि हमारे पिता के बजाय विरासत का नामान्तरकरण गोद गये पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम पर भी पास कर दिया गया। इसके बाद वांछित [illegible] अधिवक्ता से राय मशवरा लिया एवं अपील के खर्चे की व्य[illegible] अपील तैयार करा आज प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.18 16:49:57 IST
Reason: SelfAttested

की जा रही है जो अन्दर म्याद है। चूँकि मैं अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का रहने वाला होकर अनपढ़ है इसलिये मुझे इसकी कानूनी जानकारी नही हैं।

9. यहकि कथित नामान्तरकरण अवैद्य है और कानूनन अवैद्य नामान्तरकरण की अपील करने की अवधि बाधित नही होती है तथा अवैद्य नामान्तरकरण को कभी भी चौलेन्ज किया जा सकता है।

10. यहकि कथित अपील प्रस्तुत करने में अपीलान्ट ने जानबुझ कर कोई देरी नही की है व देरी का माकूल कारण है तथा न्याय के लिए देरी के समय को कन्डोन कराया जाना आवश्यक हैं।

11. अतः प्रार्थना है कि दिनांक 20.05.2008 से अपील प्रस्तुती तक जो देरी हुई है उसे कन्डोन फरमाई जाकर अपील को अन्दर मियाद शूमार फरमाया जावें।

12. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट् की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

13. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट् द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 08.02.2024 को हुई। जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा तत्काल प्रभाव से नकल प्राप्त कर अपील पेश कर दी गई। अपील अन्दर मयाद पेश की गई हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाकर देरी की अवधि को कन्डोन किया जाये एवं अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जावें।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट् की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 601 दिनांक 20.05.2008 को ग्राम पंचायत सांगवा द्वारा पारित किया गया है। जहाँ तक अपील प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करने के पूर्व न तो अपीलाण्ट्स को सुना गया है और न हीं सूचना दी गई है, न हीं अपीलान्ट को ज्ञान था। अपीलाण्ट्स का यह कथन माने जाने योग्य है। वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण अपील प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता है। [illegible] के आधार पर धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार [illegible] जाता हैं। अतः धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा मूल पुरूष उंकार के तीन पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.18 16:49:57 IST
Reason: SelfAttested

देवकिशन, पन्नालाल, बंशीलाल हुए। पन्नालाल के कोई सन्तान नहीं होने से उन्होने अपने जीवनकाल में अपने बडे भाई देवकिशन के पुत्र कैलाश को गोद रखा जिसके बाद से ही कैलाश, पन्नालाल पिता उंकार ढोली के दत्तक पुत्र की हैसियत से जाना पहचाना जाना बताया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अध्ययन से देवकिशन फौत होने से विरासत का नामान्तरकरण 601 दिनांक 20.05.2008 को पारित किया गया था जिसमें देवकिशन के वारिस के रूप में भंवरलाल, मदनलाल, लक्ष्मीलाल, लीलादेवी, कैलाश, भंवरीबाई (पत्नी) का नाम दर्ज किया गया। अपीलान्ट द्वारा कैलाश के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हुए हिस्से भूमि को (कैलाश के गोद चले जाने से) अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 6 के नाम दर्ज करवाना चाहता हैं। दस्तावेज के अध्ययन से विरासत का नामान्तरकरण 20.05.2008 को पारित होना जाहिर आया है जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज गोदनामें के अवलोकन से रेस्पोडेन्ट सं. 1 कैलाश को गोद दिनांक 22.12.2008 को रखना जाहिर हुआ हैं। अतः इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कैलाश को गोद रखने से पूर्व ही उनके पिता देहान्त होकर पिता की भूमि में उनका नाम विरासत के आधार पर दर्ज हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस दिन विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया था, उससे पूर्व कैलाश गोद चला गया हो, इस सम्बन्ध में अपीलान्ट् द्वारा कोई दस्तावेज साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गया साक्ष्य रजिस्टर्ड गोदनामें के अनुसार कैलाश विरासत का नामान्तरकरण दर्ज होने के लगभग 7 माह बाद गोद गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पारित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण विधी सम्मत पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.09.18 16:49:57 IST
Reason: SelfAttested

(मनसुख राम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
मावली